सीएम युवा उद्यमी विकास योजना से सुलभ होंगे स्वरोजगार के अवसर

जागरण संवाददाता, कौशांबी : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन व निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री (सीएम) युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। अब इसके लिए पोर्टल भी लांच कर दिया गया है। इससे अब युवा योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन वेबसाइट www.msme.up.gov.in अथवा सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी) से कर सकते हैं। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सुलभ होंगे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से बिना किसी कोलेटेरल सिक्योरिटी के उपलब्ध कराया जाना है। 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यह अनुदान बैंक इंडेड होगा। इस योजना की परिधि में 10 लाख रुपये तक की परियोजना शामिल है। हालांकि, आवेदक को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर सुविधा अनुमन्य है। सामान्य वर्ग के आवेदक को परियोजना लागत का 15, पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 12.5, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन को 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना

> योजना के अंतर्गत आवेदक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए कार्य दिवस में कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
>
> – केके अमर, उपायुक्त उद्योग जिला प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र।

यह होगी पात्रता : आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं मसलन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, एक जनपद एक उत्पाद एवं टूलकिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हों अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त हो।